79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3785—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—06—2013 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार ईसागढ़ जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 1—अ/6—अ/2011—12/निगरानी

.....

फूलसिंह पुत्र थान सिंह लोधी
निवासी —ग्राम सिरनी पोस्ट छपरा तहसील
ईसागढ़, जिला— अशोकनगर, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— जानकी बाई पुत्री अमरचंद पत्नी प्रकाश लोधी
निवासी कुसुअन पति ग्रह ग्राम
कुसुअन तहसील कोलारस, जिला— शिवपुरी, म0प्र0
2— अमरचंद पुत्र लाड़ले लोधी,
निवासी —ग्राम सिरनी तहसील
ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0
3— पार्वती बाई पुत्री लाड़ले लोधी पत्नी रामप्रसाद लोधी
हाल निवासी— पति ग्रह मठी महिदपुर
तहसील ईसागढ़, जिला—अशोकनगर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री गजेन्द्र साहू, अभिभाषक, अनावेदक क्र.1

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी, न्यायालय तहसीलदार ईसागढ़ जिला—अशौकनगरं द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—06—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम सिरनी तहसील ईसागढ़ स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 297 रकबा 0.700 है0 भूमि को भमरा, अमरचंद, पार्वती, द्वारा आवेदक फूलसिंह को 19 साल पूर्व मौखिक रूप से 17500/– रुपये लेकर विक्रय कर दी थी व उसी दिन कब्जा सौंप दिया था । उक्त भूमि पर कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वरा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये, पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तथा प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की एवं अनावेदकगण को नोटिस तामिल कराई। नोटिस तामिल होने के पश्चात अनावेदक द्वारा आपत्ति पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय को आपत्ति आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक का उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जावे। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया व प्रकरण में अंतरिम बहस श्रवण किये जाने के उपरांत सर्वे नं0 297 रकबा 0.700 है0 पटवारी अभिलेख में जानकी बाई पुत्री भमरा के नाम से उल्लेखित है । इस कारण महिला की भूमि पर कब्जा का इंद्राज नहीं किया जा सकता। इस कारण तहसील न्यायालय ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को प्रचलन योग्य न मानते हुये निरस्त कर दिया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि भूमि सर्वे नं0 297 रकबा 0.700 है0 भूमि को भमरा, अमरचंद, पार्वती, द्वारा आवेदक फूलसिंह को 19 साल पूर्व मौखिक रूप से 17500/– रुपये लेकर विक्रय कर दी थी व उसी दिन कब्जा सौंप दिया था । तभी से आवेदक उक्त भूमि पर निरंतर काबिज होकर फसल बो व काट रहा है । चूँकि आवेदक ने उक्त भूमि मौखिक रूप से ली थी। इस कारण स्वत्व लेखों में अमल नहीं हो सका। लेकिन आवेदक मौके पर निरंतर काबिज चला आ रहा है । आवेदक ने कब्जा दर्ज किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई, उद्घोषणा के निर्वाह होने के पश्चात कोई आपत्ति नहीं है । भमरा, अमरचंद, पार्वती बाई को तामिल जारी की गई । ग्राम पटवारी से मौकी की जांच रिर्पोट ली गई । ग्राम पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में आवेदक का उक्त भूमि में फसल बोना व कब्जा होना बताया गया । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि भमरा का स्वर्गवास हो गया, भमरा के कोई वारिस नहीं थे। अरमचंद व पार्वती बाई के नियम में बदयंति आ जाने से अरमचंद व पार्वती

बाई, जानकी बाई पुत्री भमरा लिखा था । विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2011 को संपादित करा दिया। जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं थी। जानकी बाई, भमरा की पुत्री नहीं है । भमरा की शादी ग्राम जंघार तहसील ईसागढ़ में हुई थी। भमरा की पत्नी एक वर्ष भीतर ही अपने ग्राम जंघार अपने मायंके वापिस चली गई थी। भमरा की कोई संतान नहीं थी। जानकी बाई ने भमरा की पुत्री बनकर भमरा के स्थान पर फौती नामांतरण करा लिया एवं अमरचंद व पार्वती बाई से विक्रय पत्र भी जानकी बाई ने भमरा की पुत्री बनकर करा लिया । जबकि जानकी बाई अमरचंद की पुत्री है । आदेश दिनांक 20.06.2013 को दिनांक 16.09.2013 को नोट कराया गया है । आदेश नोट कराने के दिनांक से निगरानी अवधि अन्दर प्रस्तुत है । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि भूमि सर्वे नं0 297 रकबा 0.700 है0 भूमि को भमरा, अमरचंद, पार्वती, द्वारा आवेदक फूलसिंह को 19 साल पूर्व मौखिक रूप से 17500/– रुपये लेकर विक्रय कर दी थी व उसी दिन कब्जा सौंप दिया था । उक्त भूमि का नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गय । तहसील न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की, प्रकरण में आपत्तियां बुलाई गई, तथा अनावेदक को नोटिस तामिल कराया गया, जिस पर अनावेदक की आपत्ति पेश की गई । अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति का जवाब पेश किया । अनावेदक द्वारा समस्त आपत्ति पर बहस की गई । अनावेदक के अभिभाषक ने अवगत कराया कि उक्त विवादित भूमि की भूमिस्वामी महिला जानकी बाई है। खेती का कार्य करती है तथा इस प्रकरण वह हितबद्ध पक्षकार भी है । जानकीबाई अनपढ़ है । आवेदक द्वारा जानकी बाई के अनपढ़ होने का लाभ उठाना चाहता है जो धारा 168 में बने नियमों के विपरीत है । जब सर्वे नं0 297 रकबा 0.700 है0 पटवारी अभिलेख में जानकी बाई पुत्री भमरा के नाम से उल्लेखित है तो धारा 168 में बने नियमों के तहत महिला अपनी भूमि को बठाई से करा सकती है और उसकी भूमि पर कब्जा का इंद्राज नहीं किया जा सकता। इस कारण तहसील न्यायालय ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को प्रचलन योग्य न मानते हुये निरस्त कर दिया । मैं तहसीलदार के इस आदेश से सहमत

हूँ । तहसीलदार ईसागढ़ ने विधि के प्रावधान के अनुसार ही कार्यवाही की है । अतः तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी खारिज की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर